आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

05/04/24

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-30/2022-23

सुनील कच्छप, बनाम् राम सिंह, वगै०

आदेश

प्रथम पक्ष सुनील कच्छप, पिताः–स्व० सुकरा उराँव, निवासी मोरहाबादी, थानाः–बरियातु, जिलाः–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत भूमि वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। प्रथम पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन द्वितीय पक्षगण (1) राम सिंह, पिता–स्व० सुदर्शन सिंह, (2) संजु देवी, पति–साधु सिंह, (3) रूपा सिंह, पिता–स्व० सुदर्शन यादव, सभी निवास ग्राम–शंकर नगर, भरम टोली, बरियातु, थाना–बरियातु, जिला–राँची द्वारा छल–प्रपंच एवं नाजायज ढंग से हड़प लिया है।

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
मोरहाबादी	192	83	545	14.40 डी०

प्रथम पक्ष ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान मे महादेव उराँव, के नाम दर्ज है।

प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। द्वितीय पक्षगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन भूमि पर कब्जा कर प्रथम पक्ष को बेदखल कर दिया है। इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा संबंधित अंचल अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

5/4/24

कृ०पृ०उल्टे

प्रथम पक्ष अपने लिखित ब्यान में कहा है कि वर्णित भूमि आर॰एस॰ खतियान में नाम लगान पाने वाला महादेव उराँव, वो गोया उराँव के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत महादेव उराँव अपने पीछे दो पुत्र बुधवा उराँव, और सुकरा उराँव को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। सुकरा उराँव अपने पीछे दो पुत्र सुनील कच्छप, और मनोज कच्छप, को छोड़ गये। खतियानी रैयत महादेव उराँव, अपने पीछे बुधवा उराँव, सुकरा उराँव, मनोज कच्छप, और आवेदक सुनील कच्छप को छोड़ गये है।

द्वितीय पक्षगण को वर्णित भूमि की नोटिस डाक के माध्यम से भेजी गयी है। विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। पुनः नोटिस निर्गत किया गया किन्तु विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय में डाक के माध्यम से निर्गत नोटिस का Track Consignment दाखिल किया गया, तत्पश्चात वाद को एकपक्षीय सुनवाई करने का अनुरोध किया गया, तथा आवेदन दिया गया। वाद की सुनवाई एकपक्षीय करने हेतु स्वीकृत किया गया। प्रथम पक्ष की ओर से एक स्वतंत्र गवाह (1) अजय कच्छप, पिता–गोपाल कच्छप, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। गवाह न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ब्यान दिया है, कि वर्णित भूमि पर द्वितीय पक्षगण जबरदस्ती घर बना लिए है। आवेदक सुनील कच्छप, पिता–स्व॰ सुकरा उराँव, की भी गवाही की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाद को आदेश पर रखा गया।

प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में आदिवासी रैयत के नाम कायमी दर्ज है और प्रथम पक्ष अपनी खतियानी भूमि है। द्वितीय पक्षगण छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रश्नगत जमीन पर दखलकार है। आदिवासी रैयत की जमीन गैर आदिवासी को अहस्तान्तरणीय है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि द्वितीय पक्षगण आदिवासी रैयत की खतियानी कायमी जमीन पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन कर नाजायज एवं गैरकानुनी रुप से दखलकार है।

15/4/24

कृ॰पृ॰उल्टे

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से द्वितीय पक्षगण (1) राम सिंह, पिता–स्व॰ सुदर्शन सिंह, मौजा–मोरहाबादी, थाना नं॰ 192, खाता सं॰ 83, प्लॉट सं॰ 545, रकवा, 7.42 डी॰, (2) संजु देवी, पति–साधु सिंह, मौजा–मोरहाबादी, थाना नं॰ 192, खाता सं॰ 83, प्लॉट सं॰ 545, रकवा, 4.50 डी॰, (3) रूपा सिंह, पिता–स्व॰ सुदर्शन सिंह, मौजा–मोरहाबादी, थाना नं॰ 192, खाता सं॰ 83, प्लॉट सं॰ 545, रकवा, 2.47 डी॰, कुल रकवा–14.40 डी॰ पर अवैध रूप से दखलकार है को बेदखल करते हुए, प्रथम पक्ष को जमीन वापस किया जाता है, तथा द्वितीय पक्षगण को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बड़गाई को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार द्वितीय पक्षगण को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रथम पक्ष सहित प्रथम पक्ष के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

15/4/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

15/4/24

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक -918(ii) दिनांक - 12/04/24

प्रतिलिपि - अंचल अधिकारी, बड़गाई, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजो को दखल देहानी हेतु प्रेषित।

12/4/24

वि॰ वि॰ पदा॰
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2024.12.07 16:36:29 +05:30
Location: 192.168.51.39